9 5/19 पत्रावली पेश हुई। वादीगण का वाद अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका है इसलिए प्रार्थना पत्र भी खारिज किया जाता है। पत्रावली मिसल मुताबिक होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner